बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं० :–3/अ०प्र०–1–35/2017 08 /पटना, दिनांक :– 20-1-2020

श्री प्रेम रंजन, तत्कालीय कनीय अभियंता, प्रथ प्रमंडल, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध अलकतरा प्रकरण में बरती गयी अनियमितता के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या–324 सह पठित ज्ञापांक 1158 अनु0 दिनांक 02.06.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्रवाई मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित की गयी।

श्री रंजन के दिनांक 30.11.2018 को सेवानिवृत हो जाने के कारण इनके विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही को कार्यालय आदेश संख्या 11 दिनांक 22.01.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री रंजन के विरूद्व गठित सभी पांच आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 2930 अनु0 दिनांक 13.12.2018 द्वारा श्री रंजन से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री रंजन द्वारा दिनांक 12.02.2019 को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर की तकनीकी समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से करायी गयी। अधीक्षण अभियंता गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा बचाव बयान स्वीकार योग्य होने का मंतव्य दिया गया।

अतएव संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री प्रेम रंजन, तत्कालीय कनीय अभियंता, प्रथ प्रमंडल, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

20/01/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–35/2017 371 /पटना, दिनांक :– 20-1-2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जयनगर/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4/5/विभागीय आई0टी0 मैनेजर एवं श्री प्रेम रंजन, तत्कालीय कनीय अभियंता, प्रथ प्रमंडल, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/01/2020

अभियंता प्रमुख